

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
संख्या : डीजी-सात-29-2015(1)

उत्तराखण्ड, देहरादून
दिनांक : जनवरी ३०, 2016

विज्ञप्ति

विषय: उत्तराखण्ड पुलिस में जनपदीय आरक्षी पुलिस (महिला) के नव सृजित पदों के सापेक्ष आरक्षी महिला

पुलिस की सीधी भर्ती की परीक्षा 2016 का आयोजन।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि: दिनांक 01.03.2016

उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 162/XX-7-2016-1(14)/2002 दिनांक: 28.01.2016 के क्रम में जनपदीय आरक्षी पुलिस (महिला) के 1000 पदों पर (वेतनमान-रु० 5200-20200, ग्रेड वेतन रु० 2000) सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जाना है। अन्तिम मैरिट सूचियां निर्गत होने तक इन पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

2- अभ्यर्थिनियों की सुविधा के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का विवरण जनपदवार आवंटन निम्नवत् है:-

क्र०सं०	भर्ती केन्द्र का नाम	जनपदवार पदों का आवंटन	आवेदन पत्र जमा किये जाने का स्थान
		आरक्षी पुलिस (महिला)	
1	अल्मोड़ा	61	पुलिस अधीक्षक कार्यालय अल्मोड़ा
2	बागेश्वर	26	पुलिस अधीक्षक कार्यालय बागेश्वर
3	चमोली	39	पुलिस अधीक्षक कार्यालय चमोली
4	चम्पावत	26	पुलिस अधीक्षक कार्यालय रुद्रप्रयाग
5	देहरादून	168	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय देहरादून
6	हरिद्वार	190	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरिद्वार
7	नैनीताल	94	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय नैनीताल
8	पिथौरागढ़	48	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पिथौरागढ़
9	पौड़ी गढ़वाल	48	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पौड़ी गढ़वाल
10	रुद्रप्रयाग	23	पुलिस अधीक्षक कार्यालय रुद्रप्रयाग
11	टिहरी गढ़वाल	61	पुलिस अधीक्षक कार्यालय टिहरी गढ़वाल
12	ऊधमसिंहनगर	163	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊधमसिंहनगर
13	उत्तरकाशी	33	पुलिस अधीक्षक कार्यालय उत्तरकाशी
	योग	1000	

3- अर्हतायें:- चयन हेतु निम्नांकित अर्हतायें निर्धारित हैं:-

- (1) अभ्यर्थिनी उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी/मूल निवासी हो।
- (2) अभ्यर्थिनी को आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदन पत्र के साथ सेवायोजन कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- (3) राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थिनियों को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (4) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थिनी का पंजीकरण उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में होना आवश्यक है। इस हेतु भूतपूर्व अभ्यर्थिनियों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के पंजीकरण कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

4- शैक्षिक योग्यता:-

- (क) अभ्यर्थिनी को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रागनगर, नैनीताल द्वारा मान्य इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (ख) महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5- आयु सीमा:-

- (क) अभ्यर्थिनियों की आयु दिनांक 01-01-2016 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात् उसकी जन्म तिथि दिनांक 01-01-1991 से पूर्व एवं दिनांक 01-01-1998 के बाद की न हो।
- (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थिनियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
- (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की आश्रित अभ्यर्थिनियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
- (घ) महिला भूत पूर्व सैनिक अभ्यर्थिनियों के लिये- उनके द्वारा सेना में की गई कुल सेवा अवधि को, उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर प्राप्त अवधि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ङ.) सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रित अभ्यर्थिनियों को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेश संख्या: 1042/XXX(2)/2008, दिनांक: 20.08.2008 के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट इस आधार पर प्रदान की जायेगी कि उसके द्वारा अन्यथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त न की गयी हो।

- (च) महिला होमगार्ड अभ्यर्थिनी जिन्होंने दिनांक 01-01-2016 को 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

6- शारीरिक अर्हतायें:-

(क) ऊँचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम	-	152 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम	-	147 से0मी0
अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम	-	147 से0मी0

- (ख) वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

नोट:- शासनादेश संख्या: 256/18-प्रा0शि0-2-81-2(एस0बी0)/82, दिनांक 16-01-1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :-

- “ देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊँचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग। “ नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में कमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

07- चयन प्रक्रिया:-

(क) शारीरिक नाप जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

आवेदन पत्रों की जाँच के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थिनियों की शारीरिक नाप जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद (अभ्यर्थिनियों द्वारा जिस जनपद में आवेदन पत्र जमा किया गया है) के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित शारीरिक अर्हताओं में असफल अभ्यर्थिनियों को शारीरिक नाप जोख के समय अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थिनियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित शारीरिक अर्हतायें होने पर ही आवेदन करें।

hi

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

शारीरिक नाप जोख में अर्ह पायी गयी अभ्यर्थिनियों को ही निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक 100 अंक) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा किसी भी आइटम में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थिनियों को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा:-

क्र०सं०	आइटम का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक 20)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक 20 अंक)	08 फिट	10
		09 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
4	शटल रेस (25 X 04 मीटर) (पूर्णांक 20)	11 सेकेण्ड	20
		12 सेकेण्ड	18
		13 सेकेण्ड	16
		14 सेकेण्ड	14
		15 सेकेण्ड	12
5	रिक्पिंग (पूर्णांक 20)	26 सेकेण्ड	20
		27 सेकेण्ड	18
		28 सेकेण्ड	14
		29 सेकेण्ड	10
		55 बार 1 मिनट में	10
60 बार 1 मिनट में	12		
65 बार 1 मिनट में	14		
70 बार 1 मिनट में	16		
75 बार 1 मिनट में	18		
80 बार 1 मिनट में	20		

(ग) लिखित परीक्षा:-

- (1) शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थिनियों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न 70 अंक के एवं हिन्दी भाषा के प्रश्न 30 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी।
- (2) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की अभ्यर्थिनियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की अभ्यर्थिनियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (3) उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक प्रश्न-पत्र होगा। प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थिनियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (4) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थिनियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (5) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट uttarakhandpolice.uk.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
- (6) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थिनियों द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट uttarakhandpolice.uk.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

08-अन्तिम मैरिट सूची:-

अभ्यर्थिनियों की नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्बन्धित जनपद (जिस जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया गया है) में होगी। लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद (जिस जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया गया है) के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थिनियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंको के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष जनपदवार अन्तिम मैरिट सूचियां तैयार की जायेगी। अन्तिम मैरिट सूचियां निर्गत होने तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यदि चयन प्रक्रिया में आरक्षण सम्बन्धी अथवा किसी नीतिगत विषय सम्बन्धी कोई आदेश/निर्णय दिया जाता है तो यह विज्ञप्ति उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी किन्तु इसका प्रभाव इस चयन प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा।

09-आरक्षण:-

recruitment 2015Sec. 07

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणी की अभ्यर्थिनियों को वर्टिकल एवं होरीजोण्टल आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्टिकल(उर्ध्व) आरक्षण	प्रतिशत	होरीजोण्टल(क्षैजित) आरक्षण	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	19	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02
अनुसूचित जनजाति	04	भूत पूर्व सैनिक	05
अन्य पिछड़ा वर्ग	14	होमगार्ड	05
		उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी	10

नोट:- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैजित आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष *Writ Petition(PIL)* संख्या: 67 of 2011 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिनांक: 26.08.2013 को दिये गये हैं किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी की अभ्यर्थिनियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक: 26.08.2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाली अभ्यर्थिनियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थिनियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थिनियों को नियमानुसार नियुक्तियां दी जायेंगी।

10- स्वास्थ्य परीक्षण:-

अभ्यर्थिनी मेडिकल रूप से फिट होनी चाहिए। दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले वाली अभ्यर्थिनियों के लिये दाहिनी आँख के लिये 6/6 और बाँये हाथ से काम करने वाली अभ्यर्थिनियों की बायीं आँख के लिये 6/6 होनी चाहिए। वर्ण-अन्धता/भैगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ या समस्यायें जो आरक्षी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा। अभ्यर्थिनियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्तानुसार योग्य होने पर ही आवेदन करें।

11- चरित्र सत्यापन:-

चरित्र सत्यापन में अर्ह पाई गयी अभ्यर्थिनियों को ही सेवा हेतु उपयुक्त माना जायेगा।

12- वेतन:-

चयनित अभ्यर्थिनियों को गहन प्रशिक्षण अवधि में Stipend (रू0 3726/00) देय होगा।

13- प्रशिक्षण:-

चयनित अभ्यर्थिनियों को प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्धारित मूलभूत प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् वे उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में व्यवहारिक प्रशिक्षण ग्रहण करेंगी तथा कम से कम 02 वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगी।

14- बन्ध पत्र:-

recruitment 2015Sec. 07

चयनित अभ्यर्थिनियों को निर्धारित प्रारूप में इस आशय का शपथ पत्र/बन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे भर्ती के दिनांक से निरन्तर 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगी। 05 वर्ष के भीतर त्याग पत्र प्रस्तुत करने अथवा सेवा छोड़ने की दशा में गहन प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किये गये Stipend तथा प्रशिक्षण पर हुये व्यय की धनराशि उनके द्वारा कोषागार में जमा करनी होगी।

15- इस विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदन प्रपत्र के प्रारूप को मोटे फुल स्केप कागज पर टंकित कराकर आवेदन पत्र तैयार किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह विज्ञप्ति उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट uttarakhandpolice.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

16- आवेदन पत्र जमा करने के सम्बन्ध में :-

1- अभ्यर्थिनी को एक ही भर्ती केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक से अधिक भर्ती केन्द्र पर आवेदन करने पर अभ्यर्थिनी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थिनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

17- परीक्षा शुल्क :-

सामान्य जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थिनियों के लिये ₹0 60/- तथा अनुरूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थिनियों के लिये ₹0 15/- का परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक "0055-पुलिस प्राप्तियों-103 फीसें जुर्माने और जब्तियों-03 अन्य फीस जुर्माना इत्यादि" के अधीन राजकीय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

18- आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्नक होने अनिवार्य हैं :-

- (1) हाईस्कूल अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति। यदि हाईस्कूल अंक तालिका में आयु का उल्लेख न हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति भी।
- (2) इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- (4) अन्तिम शिक्षण संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
- (5) सेवायोजन कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत हो तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।
- (7) यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

h

- (8) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
- (9) यदि होमगार्ड हो तो जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
- (10) यदि स्वतंत्रता सग्राम सेनानी के आश्रित हों तो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
- (11) यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हों और यदि उपरोक्तानुसार प्रस्तर-6 में वर्णित शारीरिक अर्हता सम्बन्धी छूट चाहते हो तो जनपद पौड़ी, नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये शासनादेश संख्या: 256/18-प्रा0शि0-2-81-2(एस0बी0)/82, दिनांक 16-01-1982 में निहित प्रारूपानुसार पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
- (12) अभ्यर्थिनी यदि सरकारी सेवा में हो तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (13) परीक्षा शुल्क हेतु जमा धनराशि के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।
- (14) उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रमाणित छायाप्रति शासनादेश संख्या: 2588/1-4/सा0प्र0/2001, दिनांक: 20 नवम्बर 2001 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार।
- (15) 11 x 4 इंच के दो लिफाफे जिन पर पाँच-पाँच रुपया का डाक टिकट चस्पा हों, तथा आवेदक का अपना नाम व पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित हों।
- (16) 02 नवीनतम एवं समरूप पासपोर्ट साईज (3.5 x 4.5 सेमी) की स्वप्रमाणित रंगीन फोटो।

19- आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि:-

पूर्णरूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) में दिनांक: 01.03.2016 की सायं 5:00 बजे तक जमा हो जाने चाहिए/प्राप्त हो जाने चाहिए। आवेदन पत्र भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते हैं। प्रस्तर 2 में उल्लिखित भर्ती केन्द्रों के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थिनी अन्यत्र अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। दिनांक: 01.03.2016 की सायं 5:00 बजे के पश्चात् सीधे अथवा डाक से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। यदि आवेदन पत्र डाक से भेजना है तो इस प्रकार भेजे कि नियत तिथि/समय से पूर्व आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त हो जायें। विलम्ब से प्राप्त/अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विगत में यह भी देखा गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र डाक द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि भर्ती हेतु पुलिस मुख्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने

h


वाले ऐसे आवेदन पत्रों के आधार पर उक्त भर्ती में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थिनी का दावा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

20- निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहन जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त जिन अभ्यर्थिनियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उन्हें शारीरिक नाप-जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक से सम्बन्धित जनपद (भर्ती केन्द्र) के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक (जिस जनपद में आवेदन पत्र जमा किया गया है) द्वारा सूचित की जायेगी।

21- नाप-जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थिनियों को लिखित परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसकी सूचना यथासमय सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी अथवा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

22- अन्य निर्देश:-

- (1) अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (2) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थिनियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार भर्ती बोर्ड को होगा।
- (3) ऐसे अभ्यर्थिनियों को जो केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पहले से सेवारत हों, अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (4) अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले एवं अन्यथा अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार/दावा मान्य नहीं होगा।
- (5) अभ्यर्थिनियों को इस विज्ञप्ति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करना चाहिए, जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।


 (दीपम सेठ) 30/1
 पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय
 उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी (महिला) के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुक्रमांक.....

भर्ती केन्द्र का नाम.....

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

1. अभ्यर्थिनी का पूरा नाम

(क) हिन्दी में

(ख) अंग्रेजी में.....

2. वैवाहिक स्थिति: विवाहित अविवाहित

3. पिता का नाम.....

पति का नाम

4. स्थायी पता.....

5. पत्र व्यवहार का पता.....

फोन नम्बर.....

6. जन्मतिथि:-

(क) अंकों में.....

(ख) शब्दों में.....

(ग) दिनांक: 01.01.2016 को आयुवर्षमाहदिन।

7. (क) नागरिकता.....(ख) धर्म.....(ग) जाति.....

(घ) उपजाति.....

8. आरक्षण की श्रेणी, जिसका लाभ चाहते हैं:- (सही ✓) का निशान लगायें

वर्टिकल (उर्ध्व)		होरिजोन्टल(क्षैतिज)	
1	अनुसूचित जाति	1	स्व0सं0से0 के आश्रित
2	अनुसूचित जनजाति	2	होमगार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	भूतपूर्व सैनिक
		4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी

अभ्यर्थिनी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज (3.5 x 4.5 सेमी) रंगीन फोटो (स्वप्रमाणित) यहाँ पर चस्पा करें।

9. शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में विवरण :-

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विवि० का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	संस्था का नाम

10. सेवायोजन कार्यालय का नाम/पंजीयन संख्या/दिनांक.....

(प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

11. शारीरिक माप:- (विज्ञप्ति का प्रस्तर-6 देखें)

(1) ऊँचाई.....से०मी०

(2) वजन किलोग्राम

12. संलग्नक:-

(आवेदन पत्र भेजते समय आवेदक निम्न अभिलेखों को अवश्य संलग्न करेंगे)

1. हाईस्कूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। यदि हाईस्कूल अंक तालिका में आयु का उल्लेख न हो तो आयु सम्बन्धी अन्य सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
3. भूतपूर्व महिला सैनिकों के लिये सेना का इण्टरमीडिएट के समकक्ष सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति
5. ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।
6. उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति (शासनादेश संख्या 2588/1-4/सा०प्र०/2001, दिनांक 20 नवम्बर 2001 में निहित प्रारूपानुसार)।
7. अन्तिम शिक्षण संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
8. सेवायोजन कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

9. जाति का प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी के हों तो) की प्रमाणित छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।
10. यदि होमगार्ड हो तो जिला कमांडेंट, होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
12. यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हों तो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
13. जनपद पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए शासनादेश संख्या: 256/18-प्रा0शि0-2-81-2(एस0बी0)/82, दिनांक 16-01-1982 में विहित प्रारूपानुसार पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
15. परीक्षा शुल्क:- ट्रेजरी चालान संख्या.....दिनांक.....

धनराशि.....बैंक का नाम.....

16. अभ्यर्थिनी यदि सरकारी सेवा में हो तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

स्थान.....

आवेदिका के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....

प्रमाण पत्र

मैं.....पुत्री/पत्नी श्री.....एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित की गयी सभी सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मैंने भर्ती केन्द्र/जनपद.....के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद/ भर्ती केन्द्र पर आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। यदि आवेदन पत्र में अंकित तथ्य गलत/असत्य पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध जो भी वैधानिक अथवा अन्य कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी।

स्थान.....

आवेदिका के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....